

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: /605/2012/नियम/चार, भोपाल, दिनांक अप्रैल, 2012
प्रति,

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल ।

विषय- ए.सी./डी.सी. बिल के द्वारा आहरण की व्यवस्था के संबंध में ।
संदर्भ- इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/2011/नियम/चार, दिनांक 06 सितम्बर, 2011,
दिनांक 1-11-2011 एवं दिनांक 23-12-2011.

--0--

उपर्युक्त विषय में सन्दर्भित ज्ञाप द्वारा राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) को संक्षिप्त देयक (ए.सी.बिल) से समय-समय पर आहरण करने की अनुमति प्रदान की गयी है । अंतिम बार आदेश दिनांक 23-12-2011 द्वारा दिनांक 31 मार्च 2012 तक संक्षिप्त देयक से आहरण की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2/ संचालनालय राष्ट्रीय क्रेडिट कोर (राज्य कोष) की विशिष्ट कार्यप्रणाली तथा व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें 31 मार्च 2013 तक ए.सी.बिल से आहरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

(डी.के.सक्सैना)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल, 2012

पृष्ठा.क्रं.: 773 /605/2012/नियम/चार,
प्रतिलिपि,

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, मध्यप्रदेश ग्वालियर
- ✓ 2. संचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
4. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश

(डी.के.सक्सैना)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग